

उमदी

बनाम नारायण जाट पत्नी  
39 सन 2024

केसम मुकदमा धारा 88 53 92 180 RTA  
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज  
नम्बर व तारीख जो इस हुकम की तामिल में जारी हुई

तारीख हुकम

21/2/24

पत्रावली पेश हुई। वादी/वादीगण का वाद पत्र प्रार्थी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53, 92, 180 RTA के तहत पेश हुआ जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण को सम्मन मय नकल जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील वास्ते जवाब प्रतिवादीगण/विपक्षीगण दिनांक 22/3/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर जिला भीलवाड़ा

27/3/24

पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित है/पीठारीन अधिकारी ~~अनुपस्थित~~ <sup>उपस्थित</sup> होने/अन्य ~~कारण~~ <sup>कारण</sup> होने/बार ~~पत्र~~ <sup>पत्र</sup> पत्रावली वास्ते... ~~तकमील~~ <sup>तकमील</sup> दिनांक ...19/6/24... को पेश हो।

4/4/24

वादी अधिकृतता द्वारा गैर पत्र प्रस्तुत कर विवेदन किया कि वादीभा एप कृषिपाली गणों के बीच आपसी राजी नामा हो जाने से पुरण में भागे कार्यवाही नहीं चालने से पुरण में आपसी राजी नामा हो जाने से विज्ञे करने की अनुमति पुरण करि विवेदन किया पुरण में तारीख पेश दि. 19/6/2024 की तिथि है। सिगहने 4/4/24 तब की गरी। पत्रावली एपें प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया शांति कार्य किया गया।

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर  
अह  
हुकम  
जारी

वारीमा एप उठिवाही गणते के बीच  
भापसी शजीनमा ले जाने से उपरवा  
भाजे कोर्ब कार्याही नही पाएने से  
कार्याही बन्द की जा कर उपरण  
इसी स्तर पर थोसक मुभा लेस  
गम्भा से बन्द हो।



सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
रायपुर (भीलवाडा)